राज्य सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

1 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
2 बिहार पुलिस सर्विस एसोसियेशन
3 बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ
4 बिहार अभियंत्रण सेवा संघ
5 बिहार वित्त सेवा संघ
6 बिहार पशुपालन सर्विस एसोसियेशन
7 बिहार पुलिस एसोशियेसन
8 बिहार योजना एवं विकास सेवा संघ
9 बिहार सचिवालय सेवा संघ
10 बिहार पुलिस मेन्स एसोशियेसन
11 बिहार लेखा सेवा संघ
12 बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संघ
13 बिहार प्रदेश फार्मेसी शिक्षक संघ
14 बिहार कृषि सेवा संघ
15 बिहार सांख्यिकी सेवा संघ
16 बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा
17 बिहार आशुलिपिक सेवा संघ
18 बिहार आपूर्त्ति सेवा संघ
19 बिहार पंचायत सेवा संघ

पत्रांक :– 72 दिनांक :– 3/8/15

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–61/2002 एम0 नागराज एवं अन्य बनाम् भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–11635 दिनांक 21.08.2012 द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस संकल्प के विरूद्ध सुशील कुमार सिंह व अन्य के द्वारा समादेशवाद संख्या–19114/2012 दायर किया गया जिसमें दिनांक 05.08.2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संकल्प पर रोक लगा दी जिसके बाद सामान्य प्रशासन ने ज्ञा0 2012 दिनांक 12.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगायी गई।

प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नहीं है। प्रोन्नति बाधित करना न्यायोचित नहीं है सरकार का दायित्व कि इसका न्यायोचित रास्ता निकालकर प्रोन्नति समिति की बैठक कराकर प्रोन्नति का रास्ता प्रशस्त करे। प्रोन्नति समिति की बैठक नहीं होने से अनुजाति/जनजाति के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग के कर्मचारी/पदाधिकारी का प्रोन्नति बाधित हो गया है। कर्मचारी/पदाधिकारी सवेनिवृत्त हो रहे है उन्हें पेंशन की राशि का नुकसान हो रहा है। कर्मचारी/पदाधिकारी का मनोबल गिरता जा रहा है। विभिन्न पदों पर रिक्तियों बढ़ती जा रही है जिसका असर सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है।

राज्य सेवा संवर्ग द्वारा दिनांक 29.05.2015 को काला बिल्ला लगाकर सरकार के कार्य का निष्पादन किया गया। दिनांक 07.06.2015 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भवन (इनकम्टैक्स गोलम्बर) के रिक्त परिसर में राज्यस्तरीय एक दिवसीय उपवास/धरना रखा गया। पुनः दिनांक 28.06.2015 को जे0पी0 गोलम्बर (गाँधी मैदान) से डाक बंगला चौराहा तक रैली आयोजित किया गया।

राज्य सेवा संवर्ग संघर्ष समिति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से वार्त्ता हेतु पत्रांक—10 दिनांक 31.03.2015, पत्रांक—14 दिनांक 15.04.2015, पत्रांक—27 दिनांक 28.04.2015, पत्रांक—47 दिनांक 03.06.2015 एवं पत्रांक—52 दिनांक 08.06.2015 से अनुरोध किया गया तथा प्रोन्नति का रास्ता प्रशस्त करने का अनुरोध भी किया गया परन्तु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा न तो समस्या का समाधान किया गया और न ही वार्त्ता हेतु समय दिया गया।

अतः सेवा संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 02.08.2015 को हुई बैठक में मजबूरीवस यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्री एवं महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार से मिलकर वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया जाए।

(सुशील कुमार)
महासचिव
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
सह
संयोजक राज्य सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
सह
अध्यक्ष राज्य सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

प्रतिलिपि :— निदेशक, सभी दूरदर्शन / संपादक सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी / अंग्रेजी) को प्रशारणार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
संयोजक

प्रतिलिपि :— अध्यक्ष / महासचिव / महामंत्री / सचिव उपरोक्त सेवा संवर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
संयोजक